



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29092022-239216
CG-DL-E-29092022-239216

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 227]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 29, 2022/आश्विन 7, 1944

No. 227]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 29, 2022/ASVINA 7, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2022

सं. 26/2015-20

फा. सं. 01/75/171/00020/एम22/एफटीपी प्रकोष्ठ.—विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2015-2020 के पैरा 2.04 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्वारा तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करते हैं:

प्रक्रिया पुस्तक (एचबीपी), 2015-20:

- पैरा 1.01 में '30 सितम्बर, 2022 तक लागू रहेगी' वाक्यांश को '31 मार्च, 2023 तक लागू रहेगी' वाक्यांश से प्रतिस्थापित किया जाता है।
- पैरा 3.20 (क) में, 'या 30.06.2022, जो भी बाद में हो' वाक्यांश को 'या 31.03.2023, जो भी बाद में हो' वाक्यांश से प्रतिस्थापित किया जाता है।
- पैरा 4.12(vi) में, पहले वाक्य में यथा उल्लिखित दिनांक '30.09.2022' को '31.03.2023' से प्रतिस्थापित किया जाता है।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: मौजूदा प्रक्रिया पुस्तक, 2015-20 की वैधता 31 मार्च, 2023 तक आगे बढ़ा दी गई है।

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार
और पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)****PUBLIC NOTICE**

New Delhi, the 29th September, 2022

No. 26/2015-2020

F. No. 01/75/171/00020/AM22/FTPCell.—In exercise of powers conferred under paragraph 2.04 of the Foreign Trade Policy (FTP) 2015-2020, the Director General of Foreign Trade hereby makes, with immediate effect, the following amendments:

In the Handbook of Procedures (HBP), 2015-20:

1. In para 1.01, the phrase 'shall remain in force until 30th September, 2022' is substituted by the phrase 'shall remain in force until 31st March, 2023'.
2. In para 3.20 (a), the phrase 'or 30.06.2022, whichever is later' is substituted by the phrase 'or 31.03.2023, whichever is later'.
3. In para 4.12(vi), the date '30.09.2022', as appearing in the first sentence is substituted by '31.03.2023'.

Effect of this Public Notice: Validity of the existing Hand Book of Procedures, 2015-20 is extended upto 31st March, 2023.

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade
& Ex-officio Addl. Secy.